सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 18.08.2025

#RECOVERY OF LIQUOR

अवैध शराब की तस्करी करने वाले 02 अन्तर्राज्यीय शराब तस्करों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 103 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (कुल 4944 टेट्रा पाउच में लगभग 900 लीटर शराब) व 01 महिन्द्रा बुलेरो मैक्सीट्रक (चोरी का), 01 फर्जी नम्बर प्लेट की गयी बरामद। (कुल अनुमानित कीमत 25,00,000/- रुपये)

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना बकेवर पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से की गयी कार्यवाही।

घटना/ गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी,परिवहन एवं बिक्री की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 17.08.2025 की रात्रि को एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना बकेवर पुलिस द्वारा थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत हाइवे पर विशाल होटल के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान 01 महिन्द्रा बुलेरो मैक्सीट्रक आता दिखायी दिया जिसे पुलिस टीमों द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो ट्रक चालक द्वारा महिन्द्रा बुलेरो मैक्सीट्रक को लेकर भागने का प्रयास किया गया जिस पर पुलिस टीमों द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये **02 व्यक्तियों (महिन्द्रा बुलेरो मैक्सीट्रक चालक व उसका साथी) को महिन्द्रा बुलेरो मैक्सीट्रक सहित गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये महिन्द्रा बुलेरो मैक्सीट्रक की तलाशी ली गयी तो उसमें से **103 पेटी रॉयल ग्रीन व्हिस्की (कुल 4944 टेट्रा पाउच) ROYAL CLASSIC WHISKY टैट्रा पाउच (for sale in Rajasthan only) बरामद हुयी।** जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग जनपद भरतपुर राजस्थान से सस्ते दामों में शराब खरीदकर बिहार राज्य मे महंगे दामों पर बेचते हैं और बताया कि हम लोगों ने जनपद भरतपुर (राजस्थान) के थाना ओल के पास से करीब 103 पेटी रॉयल ग्रीन ब्हिस्की शराब लोड किया था। थाना ओल से पूरा माल नितिन तिवारी पुत्र अशोक तिवारी निवासी ताजगंज थाना ताजगंज जनपद आगरा दिलवाता है तथा इस काम की पूरी योजना पंकज पुत्र धर्म सिंह निवासी नवादा खुर्द थाना लवेदी जनपद इटावा व नंदकिशोर उर्फ नंदू पुत्र रघुराज सिंह निवासी मुरलीपुर थाना भरथना जनपद इटावा के साथ हम सभी ने मिलकर बनायी थी। शराब तस्करी के पैसे का लेनदेन मानवेन्द्र देखता है तथा मानवेन्द्र के पास एक 12 चक्का ट्रक RJ05GA6971 दूसरा10 चक्का ट्रक UP80CT2080 एक ईको UP80 CY 7778 तथा एक क्रेन है।

महिन्द्रा बुलेरो मैक्सीट्रक के चैसिस नम्बर को चैक किया गया तो महिन्द्रा बुलेरो मैक्सीट्रक पर लगी नम्बर प्लेट एवं वास्तविक नम्बर प्लेट भिन्न-भिन्न पाये गये जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने यह महिन्द्रा बोलेरो मैक्सीट्रक जनपद कासगंज के थाना गंज डुण्डवारा से चोरी किया था तथा इसकी नम्बर प्लेट बदलकर शराब की तस्करी में इसका प्रयोग कर रहे थे। जिस पर थाना गंज डुण्डवारा जानकारी की गयी तो उक्त महिन्द्रा बुलेरो मैक्सीट्रक की चोरी के सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 121/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत होना पाया गया।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 243/2025 धारा 317(2)/318(4)/340(2) बीएनएस व धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामद महिन्द्रा बोलेरो मैक्सीट्रक को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया।

नोटः- 03 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. मानवेन्द्र उर्फ मन्नू पुत्र महीपाल सिंह निवासी छगनपुरा बैंक ऑफ बडौदा के पीछे थाना कोतवाली जनपद मथुरा, वर्तमान पता देहतोरा थाना सिकंदरा जनपद आगरा।
2. अंकित उर्फ नेता पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बखर थाना चौबिया जनपद इटावा।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 243/2025 धारा 317(2)/318(4)/340(2) बीएनएस व धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना बकेवर जनपद इटावा।

बरामदगीः-(अवैध शराब लगभग 900 लीटर)

1. 103 पेटी रॉयल ग्रीन व्हिस्की **(कुल 4944 टेट्रा पाउच FOR SALE IN RAJASTHAN ONLY)**
2. 01 महिन्द्रा बुलेरो मैक्सीट्रक चोरी का **(मु0अ0सं0 121/25 थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज से सम्बन्धित)**
3. 01 फर्जी नम्बर प्लेट नं0 (**UP 81T 2040**)
4. 01 एयरटेल वाईफाई
5. 04 मोबाइल

वांछित अभियुक्त गण

1. पंकज उर्फ वीरभान चौहान पुत्र धर्म सिंह चौहान निवासी नवादाखुर्द थाना लवेदी जनपद इटावा।
2. नितिन तिवारी पुत्र अशोक कुमार तिवारी निवासी ताजगंज नगर (कमिश्नरेट आगरा), स्थायी पता थाना कोतवाली जनपद मथुरा।
3. नंदकिशोर उर्फ नंदू पुत्र रघुराज सिंह निवासी मुरलीपुर थाना भरथना जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगणः-

1. मानवेन्द्र उर्फ मन्नू पुत्र महीपाल सिंह

1. मु0अ0सं0 88/2006 धारा 147, 148, 307, 323, 427, 452, 504,506 भादवि थाना नाई की मंडी जनपद आगरा
2. मु0अ0सं0 55/2004 थाना कोतवाली मथुरा।
3. मु0अ0सं0 360/2008 थाना कोतवाली मथुरा।
4. मु0अ0सं0 346/15 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव।
5. मु0अ0सं0 121/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।
6. मु0अ0सं0 243/2025 धारा धारा 317(2)/318(4)/340(2) बीएनएस व धारा 60/63 आवकारी अधिनियम थाना बकेवर जनपद इटावा।

2. अंकित उर्फ नेता पुत्र राजेन्द्र सिंह

1. मु0अ0सं0 121/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।
2. मु0अ0सं0 243/2025 धारा धारा 317(2)/318(4)/340(2) बीएनएस व धारा 60/63 आवकारी अधिनियम थाना बकेवर जनपद इटावा।

3.पंकज उर्फ वीरभान चौहान पुत्र धर्म सिंह चौहान(हिस्ट्रीशीटर - 411 A थाना लवेदी)

1. मु0अ0सं0 469/18 धारा 12 दस्यू प्रभावी क्षेत्र व धारा 307, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 470/18 धारा 25 आयुध अधि0 थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा
3. मु0अ0सं0 5/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना लवेदी जनपद इटावा
4. मु0अ0सं0 9/20 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना लवेदी जनपद इटावा
5. मु0अ0सं0 11/24 धारा 63/72 आबकारी अधि0 व धारा 420/467/468/471 भादवि थाना लवेदी जनपद इटावा
6. मु0अ0सं0 20/24 धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना लवेदी जनपद इटावा
7. मु0अ0सं0 108/16 धारा 1110 जी सीआरपीसी थाना लवेदी जनपद इटावा
8. मु0अ0सं0 121/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।
9. मु0अ0सं0 243/2025 धारा धारा 317(2)/318(4)/340(2) बीएनएस व धारा 60/63 आवकारी अधिनियम थाना बकेवर जनपद इटावा।

4. नंदकिशोर उर्फ नंदू पुत्र रघुराज सिंह

1. मु0अ0सं0 11/24 धारा 63/72 आबकारी अधि0 व धारा 420/467/468/471 भादवि थाना लवेदी जनपद इटावा
2. मु0अ0सं0 20/24 धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना लवेदी जनपद इटावा
3. मु0अ0सं0 121/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।
4. मु0अ0सं0 243/2025 धारा धारा 317(2)/318(4)/340(2) बीएनएस व धारा 60/63 आवकारी अधिनियम थाना बकेवर जनपद इटावा।

5.नितिन तिवारी पुत्र अशोक कुमार तिवारी

1. मु0अ0सं0 133/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना इकदिल जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 134/21 धारा 3/25 आय़ुध अधि0 थाना इकदिल जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 135/21 धारा 51 आपदा प्रबन्धन अधि व धारा 188, 269, 270, 420, 467, 468, 471 भादवि व धारा 3 महामारी अधि0।
4. मु0अ0सं0 193/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा।
5. मु0अ0सं0 11/24 धारा 63/72 आबकारी अधि0 व धारा 420/467/468/471 भादवि थाना लवेदी जनपद इटावा।
6. मु0अ0सं0 20/24 धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना लवेदी जनपद इटावा।
7. मु0अ0सं0 124/16 धारा 60/62/72 आबकारी अधि0 व धारा 420/467/468/471 भादवि थाना लोहामंडी कमिश्नरेट आगरा।
8. मु0अ0सं0 121/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।
9. मु0अ0सं0 243/2025 धारा धारा 317(2)/318(4)/340(2) बीएनएस व धारा 60/63 आवकारी अधिनियम थाना बकेवर जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- ***प्रथम टीम-*** उ0नि0 श्री विपिन मलिक थानाध्यक्ष बकेवर, उ0नि0 हाकिम सिंह, उ0नि0 विनीत पाण्डेय, हे0का0 गजेन्द्र सिंह, हे0का0 रविशशि अवस्थी, का0 चालक राघवेन्द्र कुमार।

द्वितीय टीमः- उ0नि0 श्री बेचन कुमार सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

नोटः- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 25,000/- की धनराशि से पुरस्कृत किया गया।